

राजस्थान सरकार  
राजस्व(ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:प.6(अ)राज-6/1970/11/12

जयपुर दिनांक 12.6.13

अधिसूचना

राजस्थान भू राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 6 के उप नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प02(244)राज/ग्रुप-3/73 दिनांक 23.1.1974 को तत्काल प्रभाव से विखण्डित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(लेखराज तोसावडा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
2. वि० सहायक, मा० राजस्व मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. वि० सहायक, मा० उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव उद्योग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
7. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. जिला कलक्टर बाडमेर।
9. निबंधक राजस्व मण्डल अजमेर।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 12.6.13 में प्रकाशनार्थ।
12. राविरा राजस्व मण्डल राज० अजमेर।
13. संयुक्त राजिस्ट्रार, (न्यायाधीश पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली।
14. उप निबंधक, (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल अजमेर।
15. उप शासन सचिव, राजकीय उपक्रम विभाग, जयपुर।
16. समस्त उप शासन सचिव राजस्व विभाग।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव